रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1983/पौष 10, 1905
No. 502] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1983/PAUSA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1983

सं. 303/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 938 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1945 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 3 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले और भारत सरकार

के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 184/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 नवम्बर, 1981 से उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट जोन 3 में उत्पादित चाय को, उक्त जोन के संबंध में उक्त अधिसूचना द्वारा नियत दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना बीस प्रति किलोग्राम की दर संगणित रकम से अधिक है ।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत रहेगी ।

[फा. सं. 65/8/83-के.उ.क्.-2]

किशन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st December, 1983

NOTIFICATION

No. 303|83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 938(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tea, falling under sub-item (1) of Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and produced in Zone III specified in the the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Deparment of Revenue) No. 184|81-Central Excises, dated the 5th November, 1981, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate fixed by the said notification in relation to the said Zone as is in excess of the amount calculaed at the rate of twenty paise per kilogram.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1985.

[F. No. 65|8|83-CX.2]

KISHAN SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984